जजों व अन्य अधिकारियों को जेलर के 'आतिथ्य' से बचना चाहिये

फ़रीदाबाद (म.मो.) जेल में बंद लोग़ों के साथ जेलर कैसा व्यवहार कर रहा है, जेल नियमावली एवं कायदे-कानून का पालन हो रहा है या नहीं, जेलर एवं उसके स्टाफ़ द्वारा बंदियों का शोषण तो नहीं हो रहा, सरकार द्वारा बंदियों को दी जाने वाली सुविधायें उन्हें मिल रही हैं या जेलर खुद ही उन्हें हड़प रहा है, आदि की जांच-पड़ताल के लिये महीने में कम से कम एक बार ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश और एक बार सीजेएम (मुख्य दंडाधिकारी) को जेल का दौरा करना होता है। इसकी रिपोर्ट बाकायदा नियमित रूप से हाई कोर्ट को भेजी जाती है। स्थानीय नीमका जेल में क्योंकि पलवल के बंदी भी रहते हैं इसलिये एक दौरा पलवल का भी लगता है।

इसके अतिरिक्त वर्ष में कम से कम का भी दौरा लगता है। ज़िला उपायुक्त भी यदा-कदा जेल का दौरा करते रहते हैं। इन दौरों का मतलब पिकनिक मनाना नहीं होता जो जेल के हरे-भरे पार्क व फुलवाड़ी देखने व मनोरंजन हॉल में मनोरंजन उपरांत लजीज व्यंजनों का लुत्फ़ ले करके निकल लें। जजों व अफ़सरों का कर्त्तव्य बनता है कि वे बंदियों से मिलें, उनकी फ़रियाद सुनें, चाहे वे जेल प्रशासन सम्बन्धित हों या अदालती व्यवस्था से।

लेकिन स्थानीय नीमका जकल में होता सब इसके विपरीत है। जब भी इस तरह के वीआईपी जेल में दौरे पर आते हैं, तमाम बंदियों को उनकी बैरकों में बंद कर दिया जाता है। किसी भी बंदी को मिलने की इजाजत नहीं होती। केवल जेल प्रशासन के चंद-चुनिंदा बंदियों को ही मिलने दिया जाता है; जाहिर है ये चुनिंदा लोग कुछ भी बोलेंगे लेकिन जेलर का तो गुणगान ही करेंगे।

जेल में फीता काटने आये मेट्रो के मालिक डा. बंसल और सेशन जज दीपक गुप्ता, जेलर अनिल (बीच में) के साथ

जिला जज की ओर से। प्रत्येक बैरक में एक-एक शिकायत पेटिका लगाई गयी है जिसमें कैदी अपनी दरखास्त लिख कर डाल सकते हैं। इसकी चाबी कहने को तो ज़िला जज के स्टाफ़ के पास होती है जो स्वयं जाकर इन पेटिकाओं को खोलकर दरखास्तें निकाल कर जज साहब के सामने पेश करता है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इस तरह की तमाम दरखास्तें पहले जेलर अनिल का स्टाफ़ देखता है, फ़िर जेलर की मर्ज़ी से ही कोई दरखास्त आगे जा पाती है। शेष को जेलर रोक कर खुद शिकायतकर्ता कैदी से 'निपटता' है। इन हालात को देखते हुए बंदियों ने इन पेटिकाओं में दरखास्तें डालना ही बंद कर दिया है।

दो गतांकों में इस जेलर की लूट-खसूट का कुछ विवरण '**मज़दूर मोर्चा**' में प्रकाशित किया गया था। इनमें बताया गया है कि किस प्रकार बंदियों को मिलने वाले राशन के बड़े हिस्से को खुद जेलर डकार जाता है। कैंटीन में कैसे 200 रुपये का बीड़ी बंडल व अन्य जरूरी सामान दुगने-तिगणे दामों पर बेचा जाता है। कैसे और किन दामों पर गिनती काटी जाती है, कैसे सुविधाजनक चक्कियों की नीलामी करके बंदियों से पैसा वसूला जाता है। किस प्रकार जेल में सुल्फ़े व मोबाइल फ़ोन का धंधा खुद जेलर चलवाता है।

जेल नियमावली के अनुसार जेल में नकद पैसा रखना वर्जित है। एक बार जेल में आने के बाद बंदी के खाने-पीने से लेकर बीमार होने पर इलाज तक की पूरी जिम्मेवारी सरकार एवं जेल प्रशासन की है। फ़िर भी कैंटीन आदि से कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीद की सुविधा बंदियों को मानवीय आधार पर दी जाती है। इसके लिये बंदी अपनी नकदी को जेल कार्यालय में बने उनके खाते में जमा करने का प्रावधान है। इस पैसे से बायोमिट्रिक प्रणाली (अंगूठा लगा कर) कैदी खरीदारी कर सकते हैं लेकिन जेलर ने मुलाकात कक्ष में अपना एक ठेकेदार बैठा रखा है जो कैदियों के पास आने वाली नकद रकम का 10 से 20 प्रतिशत तक काट कर कैदियों को देता है। हां यदि कैदी यह कटौती न कराना चाहे तो अपनी सारी रकम अपने बायोमिट्रिक खाते में जमा करा सकता है। परन्तु इस प्रणाली से वे तमाम आवश्यक वस्तुऐं बंदियों को नहीं मिल पाती जिन्हें जेलर दो नम्बर खाते में बिकवाता है।

जेल में नकदी के न होने से जेलर का भी लूट कारोबार काफ़ी घट जाता है। जब नकदी ही बंदियों के पास नहीं होगी तो वे जेलर को तुरंत भुगतान कैसे करेंगे? यहां तुरन्त भुगतान का महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि भुगतान एक बार लटक गया तो फ़िर भरोसा नहीं कि वह होगा भी या नहीं।

मई 2017 में एक बार पूरी जेल को कैशलैस (नकदी-विहीन) करने का ड्रामा किया गया था। उस वक्त बंदियों से करीब 12 लाख रुपये यह कह कर जमा किये थे कि भविष्य में सारी खरीदारी बायोमिट्रिक प्रणाली से ही करने की इजाजत होगी। नकदी से कोई काम नहीं होगा। लेकिन वह पैसा कभी भी बायोमिट्रिक खातों में जमा नहीं कराया गया। उस रकम की कच्चे रजिस्टर में इन्ट्री करा ली गयी। रजिस्टर में जमा रकम का अधिकांश इस्तेमाल बीड़ी बंडल बेचने में किया गया। करीब दो सप्ताह बाद फ़िर से सारे काम नकदी से ही चलने दिये गये।

सुल्फ़े की बिक्री हो या फ़िर जेल में कोई भी छोटे-मोटे काम हों या मोबाइल पकड़े जाने पर रिश्वत देनी हो तो बायोमिट्रिक प्रणाली से ये सब काम कैसे संभव हो सकते थे, लिहाजा दो सप्ताह बाद ही नकदी प्रणाली फ़िर से शुरू कर दी गयी।

अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिये जेलर अनिल समय-बेसमय वीआईपी लोगों को जेल की सैर करा कर मीडिया द्वारा अपना प्रचार कराता रहता है। जज साहेबान व अन्य विशिष्ट लोगों को गुलदस्ते भेंट करते वक्त अपनी फ़ोटो छपवा कर सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह कितना पाक-साफ़ है और तमाम विशिष्ट विजिटर उसे पाक-साफ़ एवं बढिया मानते भी हैं। लेकिन जेल के भीतर बंद दो से ढाई हज़ार बंदी एवं उनके परिवार जेलर को तो पाक-साफ़ मान नहीं सकते, उल्टे उसके हाथ से गुलदस्ते लेकर फ़ोटो खिचवाने वालों को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वे बरबस मानने लगते हैं कि जेलर की लूट-खसूट में से इनको भी जरूर कुछ न कुछ मिलता ही होगा।

जेल अस्पताल में बंदियों की दुर्दशा: शिकार बना सूरज

जेल अस्पताल में एक सर्जन, एक फीजिशियन व एक महिला डॉक्टर सहित 5 डॉक्टरों व 1 डेंटिस्ट की पोस्ट स्वीकृत हैं। लेकिन हकीकत में एक ही डॉक्टर तैनात है जिनके पल्ले खुद कुछ नहीं, उन्हें खुद इलाज की जरूरत है। वे खुद हर वक्त घबराये से रहते हैं। ठेकेदारी में रखे दो अन्य डॉक्टर तो बस नामचारे को हैं। कभी आ गये तो ठीक नहीं आये तो ठीक। रात में अक्सर कोई डॉक्टर नहीं रहता। बुलाने पर कभी कोई फ़ार्मासिस्ट आ जाये तो उसकी मेहरबानी। ऐसे में कोई मरता है तो मरे। अगर किसी जेलर ने ज़्यादा मेहरबानी कर दी तो मरीज़ को बीके अस्पताल भेज सकता है।

रात की बात तो छोड़िये दिन में ही क्या रखा है इस अस्पताल में? गिनी चुनी 4-6 प्रकार के गोलियां है जो हर प्रकार के रोग में दी जा सकती हैं। डॉक्टर तथा एक अदद फ़ार्मासिस्ट की सहायता के लिये 3-4 कैदियों की भी यहां नियुक्ति रहती है। अधिकांश बंदियों के लिये तो ये कैदी ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर की गैरहाजरी में टीके लगाने से लेकर हर तरह का इलाज ये ही कैदी करते हैं। इस तरह के इलाज से कोई कैदी बच जाय तो उसकी किस्मत, वरना गंभीर बीमारी के शिकार होना या मृत्यु को प्राप्त होने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा ही एक शिकार हुआ था

ऐसा ही एक शिकार हुआ था सूरज पुत्र रमेश निवासी गांव कासिमपुर तहसील होडल ज़िला पलवल का रहने वाला। सूरज अपने मां-बाप सहित 29 सितम्बर 2016 को सज़ा होकर जेल में आया था। आरोप था पत्नी हत्या का। सब को 14-14 साल कैद की सज़ा हुई थी। पूर्णतया स्वस्थ युवक के रूप में जेल आया सूरज कुछ दिन बाद यहां हल्का सा बीमार हो गया। मामूली खांसी-जुकाम व बुखार आदि का इलाज ढंग से न होने पर कुछ माह बाद टीबी बन गयी। टीबी का कोर्स पूरा कराने के बाद जेल डॉक्टर ने उसे पूर्णतया स्वस्थ घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बीमार पड़ने पर जांच से पता चला कि टीबी का इलाज ठीक से नहीं हुआ था। इसके चलते टीबी भयंकर रूप धारण कर चुकी थी।

जांच के लिये बीके अस्पताल भेजा गया। अल्ट्रासाऊंड से पता चला कि फेफड़ों में पानी भर गया है यानी जलोदर भी हो गया है। इस रिपोर्ट के साथ उसे वापस जेल भेज दिया गया; यानी बीके अस्पताल ने उसे दाखिल करके इलाज करना जरूरी न समझते हुए जेल अस्पताल के जिम्मे डाल दिया, जहां दवा के नाम पर उसे कुछ उल्टी-सीधी गोलियां दी जाती रही। इससे उसकी हालत और भी बिगड़ गयी। उल्टियां, दस्त व बुखार आदि के साथ-साथ शरीर टूटने लगा। ब्लड प्रेशर जो 80-120 होना चाहिये घट कर 60-से 80 हो गया।

घबरा कर जेल डॉक्टर गिडवाल ने सूरज को तुरंत बिके अस्पताल भिजवा दिया। यहां अब उसे 4 दिन तक रखा गया। खून की जांच, एक्सरे व सीटी-स्कैन आदि करने पर पता चला कि टीबी रीढ की हड्डी में पहुंच चुकी है,जलोदर के साथ-साथ दोनो किडनी भी कंडम होने के करीब हैं। खून में क्रिटोमिन की जो मात्रा दशमलव 5 से अधिक नहीं होनी चाहिये। वह बढकर 5 दशमलव 2 हो चुकी थी। इस दशा में डायलेसिस बहुत जरूरी होती है, परन्तु बीके अस्पताल ने डायलेसिस कराने की बजाय उसे मरने के लिये वापस जेल भेज दिया। दवा के नाम पर केवल टीबी की ही गोलियां दे दी गयीं। उक्त सभी तथ्य जेल अस्पताल में दर्ज हैं।

दिन ब दिन बिगड़ती हालत के दौरान 25 जून 2017 को सूरज व उसके पिता की पैरोल छुट्टी मंजूर होकर आ गयी। कुल 4 दिन भी सूरज अपने घर न टिक पाया था 29 जून को उसका देहान्त हो गया। जेल में सूरज की मौत तो केवल एक उदाहरण है सरकारी लापरवाही का, वरना इस तरह की मौतें तो जेलों में आम होती रहती हैं। खास बात यह भी है कि जेल में किसी को भी मरा नहीं दिखाया जाता। सब जेल से बाहर ही मरे दिखाये जाते हैं। अधिकतर तो जेल से अस्पताल ले जाते वक्त मरे दिखाये जाते हैं।

जेल में मेडिकल कैम्प लगाने का ड्रामा

फ़रीदाबाद (म.मो.) वैसे तो जेल में ऐ स्थाई मेडिकल अफ़सर व 2-3 ठेकेदारी में डॉक्टरों की नियुक्ति रहती है। परन्तु यदा-कदा जब जेलर अनिल को मीडिया में अपना व किसी व्यवसायिक अस्पताल का प्रचार कराना होता है तो वह जेल में मेडिकल कैम्प का आयोजन करता रहता है।

इसी श्रृंखला में अनिल ने मई में दो मेडिकल कैम्प जेल के अस्पताल में लगवाये थे। पहला कैम्प शहर के सबसे बड़े लुटेरे मैट्रो अस्पताल द्वारा तथा दूसरा डेन्टल एसेसिएशन द्वारा लगवाया गया था। सर्वविदित है कि मैट्रो अस्पताल अन्य सभी व्यवसायिक अस्पतालों की तरह किसी मरीज़ को ठीक करके बाहर निकालने में कम और अपने अस्पताल में अधिकाधिक समय तक भर्ती रखने में अधिक विश्वास करता है। ये लोग मरीज़ को तभी डिस्चार्ज करते हैं जब कोई नया मरीज़ आ जाये अथवा उसके बर्तन बिक लिये हों। इस तरह की मानसिकता वाला मैट्रो अस्पताल भला कैम्प में बंदियों का क्या इलाज करके जा सकता था? हां, कुछ ड्रामेबाज़ी करके बंदियों के बीच अपना प्रचार जरूर कर गया। जेल से निकलने के बाद यदि किसी के घर में कुछ पैसे बचें हों तो कटने के लिये उसके यहां आ सकते हैं। इसके बदले जेलर व उसके परिवार को जरूर इस अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, वरना वैसे तो उसे शहर में पूछता कौन है।

30 अगस्त 2017 को भी इस जेलर ने ऐसा ही कुछ ड्रामा जेल में कर रखा था। ज़िलाबार एसोसिएशन से दान में वातानुकूलित करने का सिस्टम एक कमरे में लगवा कर उसका उद्घाटन करने ज़िला सत्र जज श्री दीपक गुप्ता व बार एसोसिएशन प्रधान संजीव चौधरी को बुला लिया। इसके साथ-साथ मैट्रो अस्पताल के मालिक डॉ. बंसल को भी बुलवा लिया ताकि उसकी फ़ोटो भी जज साहब के साथ खिंच कर प्रकाशित हो सके। अपने काले कारनामों से पुते चेहरों को जनता के सामने उजला कर प्रस्तुत करने का यह एक आधुनिक तरीका है। अच्छे लोग़ों को इनके साथ खड़े होने से बचना चाहिये।

रेयान स्कूल में सभी कुछ तो उल्टा-पुल्टा है

गुड़गांव (म.मो.) सात साल के मासूम प्रद्युमन की हत्या के बाद सुर्खियों में आये रेयान इन्टरनेशनल स्कूल में कुछ भी तो सीधा नहीं है। इसके लिये ज़मीन खरीदने से लेकर अब तक सभी कानून कायदों की उल्लंघना इसके प्रबंधकों द्वारा की जाती रही है।

स्कूल प्रबन्धन यानी पिंटो परिवार ने भौंडसी गांव के रकबे में करीब 5 एकड़ कृषि भूमि खरीद कर स्कूल बनाने के नाम पर उसका सीएलयू (भूमि प्रयोग परिवर्तन) कराया था। लेकिन सीएलयू हो जाने के बाद पिंटो परिवार ने करीब 3 एकड़ में तो स्कूल और शेष करीब 2 एकड़ में अपना फ़ार्म हाउस बना लिया। इस आलीशान फ़ार्म हाउस की तो बढिया शानदार चारदिवारी बनाई गयी जबकि स्कूल के लिये चारदिवारी की जगह कुछ लकड़ी-डंडे आदि गाड़ कर हल्के-फुल्के तार लगा दिये गये। ये तार भी कई जगह से टूटे पड़े हैं क्योंकि जिन लकड़ियों के सहारे ये बंधे थे उन्हें दीमक खा गयी।

रही सही कसर सरकार ने शराब का ठेका खोल कर के पूरी कर दी। आबकारी कानून में बाकायदा प्रावधान है कि स्कूलों, स्पातालों व मंदिरों आदि के निकट शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी। इसके लिये बाकायदा 200 से 300 मीटर की दूरी निश्चित की गयी है। परन्तु चांदी के जूते के सामने कोई कायदा-कानून तो क्या सरकार ही नहीं ठहर पाती।

विदित है कि किसी भी स्कूल को मान्यता तभी मिलती है जब ज़िला शिक्षा अधिकारी स्कूल को पूरा निरीक्षण कर ले। सभी शर्तें पूरी करने के उपरान्त ही ज़िला शिक्षा अधिकारी मान्यता के लिये स्वीकृति प्रदान करता है। स्कूल की ज़मीन में फ़ार्म हाउस का होना और स्कूल की चारदिवारी का न होना ही दो ऐसी आपत्तियां पहले दिन से ही रही हैं, जिनके रहते मान्यता ही नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा ऊपरी मंजिलों में जाने के लिये रैम्प तथा ऐसी ही अनेकों खामियां शुरू से यहां रही हैं। लेकिन रिश्वतखोरी के चलते सभी आपत्तियां स्वत: हट जाती हैं।

प्रद्युमन हत्या कांड के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा गठित की गयी एक जांच कमेटी के चेयरमैन खुद ज़िला शिक्षा अधिकारी रामकुमार पलसवाल थे। कमेटी की अन्य सदस्य स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी व ज़िला बाल विकास अधिकारी थीं। इस कमेटी ने उक्त सभी खामियों के अतिरिक्त पाया था कि बच्चों के लिये बने शौचालय भी बहुत अनुकूल नहीं हैं। बच्चों को लाने ले जाने वाली बसों की व्यवस्था भी उचित नहीं थी। छुट्टी होने के बाद सभी छोटे-बड़े बच्चे एक साथ, स्कूल के बाहर खड़ी बसों पर झपट पड़ते हैं, सीट कब्जाने के लिये ताकि खड़े-खड़े सफ़र न करना पड़ें। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतया ताक पर रख दी जाती है।

कमेटी द्वारा जांच के दौरान ज़िला शिक्षा अधिकारी रामकुमार ने स्कूल की मान्यता से सम्बन्धित फ़ाइल को हवा भी नहीं लगने दी। जाहिर है वे नहीं चाहते थे कि स्कूल एवं मान्यता प्रदान करने वाले अधिकारियों पर कोई आंच आये। वैसे उनका वश चलता तो उक्त खामियां भी रिपोर्ट में न दर्शायी जाती। लेकिन शेष दोनों सदस्यों के अड़ियल रवैये के चलते उक्त खामियों का विवरण देना पड़ा।

देखा जाय तो इस तरह की खामियां सभी स्कूलों में हैं, सरकारियों में तो और भी ज़्यादा हैं। खामियों को ढकने के लिये हर स्तर पर रिश्वत का चलन कोई नया नहीं है। पिंटो परिवार जो पहले कांग्रेस की 'सेवा' करता था, अब जी जान से भाजपा की सेवा में जुटा है। भाजपा के सदस्यता अभियान में इन्होंने पूरी जी-जान लगा दी थी। सारा स्टाफ़ व बच्चों तथा अभिभावकों तक के फ़ार्म भरवा दिये थे। इनकी रैलियों के लिये बसें उपलब्ध कराना तो आम बात है। इसी सेवा के बदले भाजपा सरकार का रवैया इस स्कूल के प्रति काफ़ी नरम रहा। लेकिन बढते जनाक्रोश के चलते सरकार को न्यायोचित कार्यवाही करने को विवश होना पड़ा और मुंबई में बैठे इसके मालिकों तक को पकड़ने पुलिस पहुंच गयी।

इसी तरह का रवैया यदि सरकार अपने स्कूलों के प्रति भी अपनाये तो क्या दिक्कत है? गत दिनों बल्लबगढ के निकट सीकरी स्थित सरकारी स्कूल के एक छात्र की हत्या हो गयी और शव मिला महीनों बाद। लेकिन इसके लिये किसी अधिकारी से पूछताछ तक भी नहीं हुई। जाहिर है इससे सरकारी अफ़सरों के गैरजुम्मेवाराना रवैये को बढावा मिलता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06